[2020] 1 उम. नि. प. 357

प्रधान आय-कर आयुक्त, मुम्बई

बनाम

मैसर्स आईवेन इंटरएक्टिव लि., मुम्बई

[2019 की सिविल अपील सं. 8132]

18 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) – धारा 143 – निर्धारिती की आय का निर्धारण किया जाना – निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती के स्थायीखाता संख्यांक (पेन) में उल्लिखित पते पर सूचना भेजा जाना – निर्धारिती द्वारा पते में परिवर्तन किया जाना किंतु पेन में पते को परिवर्तित न कराया जाना – यदि निर्धारिती अपने नाम या पते में परिवर्तन कर लेता है तो उसके लिए पेन डाटाबेस में उल्लिखित पते में भी परिवर्तन कराना आवश्यक और आज्ञापक है, इसलिए जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती के पेन डाटाबेस में वर्णित पते पर सूचना जारी की गई हो, वहां निर्धारिती पर सूचना तामील होना समझा जाएगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए 3,38,716/- रुपए की कुल आय की घोषणा करते हुए तारीख 28 नवंबर, 2006 को आय-कर विवरण फाइल की थी । उक्त विवरणी ई-माइ्यूल स्कीम के अधीन फाइल की गई थी और उसके पश्चात् एक मुद्रित प्रति (हार्ड कॉपी) फाइल की गई थी । विवरणी पर आय-कर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम, 1961) की धारा 143(1) के अधीन कार्यवाही की गई थी । प्रत्यर्थी-निर्धारिती को तारीख 5 अक्तूबर, 2007 को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना जारी की गई थी । सूचना निर्धारिती के पेन (स्थायी खाता संख्यांक) डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर भेजी गई थी । तथापि,

निर्धारिती ने इस सूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि सूचनाएं निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थीं, क्योंकि निर्धारिती-कंपनी को वे सूचनाएं कभी प्राप्त नहीं हुई थीं और बाद में तामील और निर्धारिती-कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं अधिनियम, 1961 की धारा 143 के परंतुक के अधीन विहित परिसीमा की अवधि से परे थीं । निर्धारण अधिकारी ने आय-कर नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम, 1961 की धारा 14क के अधीन 8,91,17,643/- रुपए को नामंजूर करते हुए अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन तारीख 24 दिसंबर, 2008 के निर्धारण आदेश द्वारा निर्धारण को पूरा किया और 5,52,45,930/- रुपए की कुल आय संगणित की । निर्धारिती ने तारीख 24 दिसंबर, 2008 के निर्धारण आदेश से व्यथित होकर आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने तारीख 23 दिसंबर, 2010 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील मंजूर की कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन विधिमान्य अधिकारिता ग्रहण किए बिना अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन निर्धारण पूर्ण किया था और इसलिए अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित निर्धारण अविधिमान्य था । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन बाद में की गई सूचना की तामीली अधिनियम, 1961 की धारा 143 के परंतुक के अधीन विहित परिसीमा की अवधि से परे थी और निर्धारिती को पूर्व में कोई सूचनाएं तामील नहीं की गई थीं और/या प्राप्त नहीं हुई थीं, क्योंकि वे सूचनाएं पुराने पते पर भेजी गई थीं और इसी बीच कंपनी-निर्धारिती ने अपना पता बदल दिया था और इसलिए निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित था । राजस्व विभाग ने आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जो विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा तारीख 19 जनवरी, 2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) तथा आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों की उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई । राजस्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय

से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना तारीख 5 अक्तूबर, 2007 को उसके पेन डाटाबेस में यथा उल्लिखित पते पर भेजी गई थी और वह सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित समय-सीमा के भीतर थी । तथापि, अभिनिर्धारिती की ओर से यह पक्षकथन था कि उक्त सूचना निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थी, क्योंकि निर्धारिती ने अपना नाम और पते में परिवर्तन कर लिया था तथा इससे पूर्व ही नए पते पर स्थानांतरित हो गया था और इसलिए उक्त सूचना निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थी और जिस समय जब बाद में सूचनाएं निर्धारिती पर तामील की गई थीं, उस समय अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित अवधि द्वारा वर्जित थी और इसलिए निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित है । निर्धारिती की ओर से पक्षकथन यह था कि निर्धारिती ने तारीख 6 दिसंबर, 2005 की संसूचना द्वारा निर्धारण अधिकारी को नए पते के बारे में सूचित किया था और इसके बावजूद निर्धारण अधिकारी ने पुराने पते पर सूचना भेजी थी । तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना उपलब्ध नहीं है । उक्त संसूचना न तो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और न ही इसे इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है । निर्धारिती ने तारीख 21 अगस्त, 2019 के आदेश के अनुपालन में फाइल किए गए शपथपत्र में भी यह उल्लेख किया है कि तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार निर्धारिती तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना को साबित करने में असफल रहा है । एकमात्र दस्तावेज जो उपलब्ध है, वह कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किया गया प्ररूप सं. 18 है । कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्ररूप सं. 18 फाइल करने से पते में परिवर्तन की सूचना की बाबत निर्धारण अधिकारी को सूचना दिया जाना नहीं कहा जा सकता है । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती द्वारा

पेन डाटाबेस में पते में परिवर्तन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था और पेन डाटाबेस में पुराना पता चल रहा था । इसलिए पते में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को किसी सूचना के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर सूचना जारी करके न्यायोचित किया था । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने कोई गलती कारित की थी और वास्तव में निर्धारण अधिकारी ने पेन डाटाबेस के अनुसार पते पर सूचना भेजकर न्यायोचित किया था । यदि ऐसा है तो तारीख 5 अक्तूबर, 2007 की सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित अवधि के भीतर कही जा सकती है । जब एक बार सूचना अधिनियम की धारा 143(2) के परंतुक के अनुसार विहित अवधि के भीतर जारी की गई है तो इससे यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) का पर्याप्त अनुपालन किया गया था । इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करके और विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) और आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुष्टि करके और निर्धारण आदेश को इस एकमात्र आधार पर अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है कि निर्धारण आदेश इस आधार पर विधि की दृष्टि से दूषित है कि निर्धारिती पर बाद में अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन की गई सूचना की तामीली अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित सीमा से परे थी । अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान् अधिकरण के इस मत से सहमति व्यक्त करते हुए की गई इन मताभिव्यक्तियों का संबंध है कि नए पते पर आय-कर विवरणी फाइल कर देना ही निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम के अनुसार उचित प्रक्रियात्मक उपायों का पालन करने के लिए अपने विधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पर्याप्त होगा और जहां तक इसके साथ आय-कर अधिनियम का संबंध है, इस न्यायालय की यह राय है कि पते में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को विनिर्दिष्ट रूप से सूचना दिए बिना और इसे पेन डाटाबेस में परिवर्तित कराए बिना आय-कर विवरणी में नए पते का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है । पते में परिवर्तन

और/या निर्धारिती के नाम में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट सूचना के अभाव में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती के पेन डाटाबेस में उल्लिखित पते पर सूचना भेजना न्यायोचित होगा, विशिष्ट रूप से जब विवरणी ई-माइ्यूल स्कीम के अधीन फाइल की गई हो । यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचनाएं विभाग की स्वचालित व्यवस्था के अधीन सृजित मामले के चयन के आधार पर भेजी जाती हैं, जो पेन डाटाबेस से निर्धारिती के पते को उठाता है । इसलिए कंपनी के नाम में परिवर्तन और/या पंजीकृत कार्यालय या निगमित कार्यालय में किसी परिवर्तन की दशा में पेन के डाटाबेस में पते में परिवर्तन कराना आवश्यक है और इसे कंपनी रजिस्ट्रार को विहित रूप-विधान (प्ररूप सं. 18) में सूचित किया जाना चाहिए और उक्त अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए निर्धारिती के लिए यह अपेक्षित है कि वह उक्त दस्तावेज की प्रति के साथ विभाग को समावेदन करे और निर्धारिती के लिए यह भी अपेक्षित है कि वह पेन के विभागीय डाटाबेस में पते के परिवर्तन के लिए आवेदन करे, जो निर्धारिती वर्तमान मामले में ऐसा करने में असफल रहा है ।

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 259 : **सहायक आय-कर आयुक्त** बनाम **होटल बल्यू मून** ।	5.3, 6.1

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 8132.

2016 की आय-कर अपील सं. 94 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 27 जून, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एच. राघवेन्द्र राव, रूपेश कुमार और (श्रीमती) अनिल कटियार
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री एस. के. बगारिया, ज्येष्ठ अधिवक्ता, के. आर. शशिप्रभु और विष्णु शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

2. राजस्व विभाग ने 2016 की आय-कर अपील सं. 94 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 27 जून, 2018 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा फाइल की गई उक्त अपील खारिज कर दी थी और निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारण आदेश को अभिखंडित और अपास्त करते हुए आय-कर आयुक्त (अपील) तथा आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुष्टि की ।

3. प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए 3,38,716/- रुपए की कुल आय की घोषणा करते हुए तारीख 28 नवंबर, 2006 को आय-कर विवरण फाइल की थी । उक्त विवरणी ई-माइ्यूल स्कीम के अधीन फाइल की गई थी और उसके पश्चात् तारीख 5 दिसंबर, 2006 को एक मुद्रित प्रति (हार्ड कॉपी) फाइल की गई थी । आय-कर विवरणी के साथ तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा संलग्न था । विवरणी पर आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम, 1961' कहा गया है) की धारा 143(1) के अधीन कार्यवाही की गई थी । प्रत्यर्थी-निर्धारिती को तारीख 5 अक्तूबर, 2007 को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना जारी की गई थी । सूचना निर्धारिती के पेन (स्थायी खाता संख्यांक) डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर भेजी गई थी । निर्धारिती को तारीख 25 जुलाई, 2008 को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना द्वारा एक अतिरिक्त अवसर दिया गया था । निर्धारिती को उक्त सूचना भी पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर जारी की गई थी । उसके पश्चात्, निर्धारिती को अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के अधीन अतिरिक्त सूचनाएं तारीख 23 जनवरी, 2008, 25 जुलाई, 2008 और 5 अक्तूबर, 2008 को प्रश्नावली के साथ विभिन्न ब्योरे की मांग करते हुए प्रत्यर्थी-निर्धारिती कंपनी सम्यक् रूप से तामील की गई थी । उक्त सूचना के उत्तर में, कंपनी का प्रतिनिधि तारीख 28 नवंबर, 2008 और

4 दिसंबर, 2008 को उपसंजात हुआ । निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी के कार्यवाहियों में भाग लिया । तथापि, निर्धारिती ने अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त सूचनाएं निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थीं, क्योंकि निर्धारिती-कंपनी को वे सूचनाएं कभी प्राप्त नहीं हुई थीं और बाद में तामील और निर्धारिती-कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं अधिनियम, 1961 की धारा 143 के परंतुक के अधीन विहित परिसीमा की अवधि से परे थीं ।

3.1. निर्धारण अधिकारी ने आय-कर नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम, 1961 की धारा 14क के अधीन 8, 91, 17, 643/- रुपए को नामंजूर करते हुए अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन तारीख 24 दिसंबर, 2008 के निर्धारण आदेश द्वारा निर्धारण को पूरा किया और 5,52,45,930/- रुपए की कुल आय संगणित की ।

3.2. निर्धारिती ने तारीख 24 दिसंबर, 2008 के निर्धारण आदेश से व्यथित होकर आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने तारीख 23 दिसंबर, 2010 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील मंजूर की कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन विधिमान्य अधिकारिता ग्रहण किए बिना अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन निर्धारण पूर्ण किया था और इसलिए अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित निर्धारण अविधिमान्य था । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने यह मत व्यक्त किया कि चूंकि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन बाद में की गई सूचना की तामीली अधिनियम, 1961 की धारा 143 के परंतुक के अधीन विहित परिसीमा की अवधि से परे थी और निर्धारिती को पूर्व में कोई सूचनाएं तामील नहीं की गई थीं और/या प्राप्त नहीं हुई थीं, क्योंकि वे सूचनाएं पुराने पते पर भेजी गई थीं और इसी बीच कंपनी-निर्धारिती ने अपना पता बदल दिया था और इसलिए निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित था । राजस्व विभाग ने आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जो विद्वान् आय-कर अपील अधिकरण द्वारा तारीख 19 जनवरी, 2015 के आदेश द्वारा खारिज कर

दी गई । विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) तथा आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों की उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई । इसलिए राजस्व विभाग ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

4. राजस्व विभाग की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री एच. राघवेन्द्र राव ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए और विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) और आय-कर अपील अधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित था, पारित किए गए आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

4.1. यह भी दलील दी गई कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर भेजी थी । यह दलील दी गई कि इसलिए निर्धारिती द्वारा पते में परिवर्तन करने के संबंध में निर्धारण अधिकारी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी । अत: यह दलील दी गई कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना निर्धारिती को पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर भेजी गई थी । अत: यह दलील दी गई कि जब एक बार अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना जारी की गई थी तो यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1961 के सुसंगत उपबंधों, विशिष्टतया, अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) का पर्याप्त पालन किया गया था ।

4.2. आगे यह दलील दी गई कि इसलिए उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती से निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती के नए पते की जानकारी देते हुए दी गई तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना निर्धारण अधिकारी को कभी प्राप्त नहीं हुई थी । यह दलील दी गई कि यहां तक कि आज तक भी निर्धारिती उक्त संसूचना को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है । अत: यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती यह साबित करने में

असफल रहा था कि तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना निर्धारण अधिकारी को नए पते के बारे में जानकारी देते हुए वास्तव में भेजी गई थी ।

4.3. राजस्व विभाग की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि इसलिए विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती द्वारा निर्धारण अधिकारी को पते में तब्दीली की जानकारी देते हुए तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना का जोरदार रूप से अवलंब लिया था, तथापि, तारीख 6 दिसंबर, 2005 की संसूचना पेश नहीं की गई है । अत: यह दलील दी गई कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारण अधिकारी ने पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचनाएं भेज कर न्यायोचित किया था । अत: यह दलील दी गई कि विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील), आय-कर अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके गंभीर गलती की है कि निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित है, क्योंकि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना परिसीमा की अवधि से परे थी ।

4.4. यह भी दलील दी गई कि चूंकि उसके पश्चात् निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाहियों में भाग लिया था और इसलिए विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा अपील पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था और मात्र इस आधार पर निर्धारण आदेश को अपास्त नहीं करना चाहिए था कि निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित है ।

4.5. उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् यह प्रार्थना की गई कि इस अपील को मंजूर किया जाए ।

5. प्रत्यर्थी-निर्धारिती की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री एस. के. बगारिया ने विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किए गए आदेश, जिसकी पुष्टि आय-कर अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, का समर्थन करने के लिए भरसक प्रयास किया । यह दलील दी गई है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के नए पते से अभिज्ञ था और इसलिए निर्धारण अधिकारी द्वारा नए पते पर सूचनाएं भेजनी चाहिए थीं । यह दलील दी गई है कि निर्धारण

अधिकारी ने इसके बजाय पुराने पते पर सूचना भेजी थी और इसलिए यह सूचना कभी भी निर्धारिती पर तामील नहीं हुई थी । यह दलील दी गई है कि पश्चात्वर्ती सूचना जिस समय निर्धारिती पर तामील की गई थी, अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन वह सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन उपबंधित अनुसार परिसीमा द्वारा वर्जित थी । इसलिए विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील), आय-कर अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित था ।

5.1. निर्धारिती की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि निर्धारिती-कंपनी के पते में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन को प्ररूप सं. 18 में कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित किया गया था । इसलिए यह दलील दी गई है कि वास्तव में कंपनी के नाम में परिवर्तन किया गया था और पते में परिवर्तन की बात को सिद्ध और साबित किया गया है ।

5.2. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री बगारिया ने आगे यह दलील दी कि नया पता निर्धारण अधिकारी के ज्ञान में था, जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि निर्धारण वर्ष 2004-05 और निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण आदेश नए पते पर भेजे गए थे ।

5.3. **सहायक आय-कर आयुक्त** बनाम **होटल बल्यू मून**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए निर्धारिती की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित समय के भीतर जारी किया जाना आवश्यक और आज्ञापक है । यह दलील दी गई है कि इसलिए जब यह पाया गया था कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना को अधिनियम की धारा 143(2) के परंतुक में विहित सीमा के भीतर निर्धारिती पर तामील नहीं किया गया था, निर्धारण आदेश विधि की

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 259.

दृष्टि से दूषित था और विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा उसे ठीक ही अपास्त किया गया था और जिसकी उच्च न्यायालय तक पुष्टि की गई थी ।

5.4. उपरोक्त दलीलें देने और इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय का अललंब लेने के पश्चात् वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है ।

6. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

6.1. प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना तारीख 5 अक्तूबर, 2007 को उसके पेन डाटाबेस में यथा उल्लिखित पते पर भेजी गई थी और वह सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित समय-सीमा के भीतर थी । तथापि, अभिनिर्धारिती की ओर से यह पक्षकथन था कि उक्त सूचना निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थी, क्योंकि निर्धारिती ने अपना नाम और पते में परिवर्तन कर लिया था तथा इससे पूर्व ही नए पते पर स्थानांतरित हो गया था और इसलिए उक्त सूचना निर्धारिती पर तामील नहीं की गई थी और जिस समय जब बाद में सूचनाएं निर्धारिती पर तामील की गई थी, उस समय अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित अवधि द्वारा वर्जित थी और इसलिए निर्धारण आदेश विधि की दृष्टि से दूषित है । निर्धारिती की ओर से पक्षकथन यह था कि निर्धारिती ने तारीख 6 दिसंबर, 2005 की संसूचना द्वारा निर्धारण अधिकारी को नए पते के बारे में सूचित किया था और इसके बावजूद निर्धारण अधिकारी ने पुराने पते पर सूचना भेजी थी । तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना उपलब्ध नहीं है । उक्त संसूचना न तो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और न ही इसे इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है । निर्धारिती ने तारीख 21 अगस्त, 2019 के आदेश के अनुपालन में फाइल किए गए शपथपत्र में भी यह उल्लेख किया है कि तारीख 6

दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार निर्धारिती तारीख 6 दिसंबर, 2005 की अभिकथित संसूचना को साबित करने में असफल रहा है । एकमात्र दस्तावेज जो उपलब्ध है, वह कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किया गया प्ररूप सं. 18 है । कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्ररूप सं. 18 फाइल करने से पते में परिवर्तन की सूचना की बाबत निर्धारण अधिकारी को सूचना दिया जाना नहीं कहा जा सकता है । यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती द्वारा पेन डाटाबेस में पते में परिवर्तन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था और पेन डाटाबेस में पुराना पता चल रहा था । इसलिए पते में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को किसी सूचना के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने पेन डाटाबेस के अनुसार उपलब्ध पते पर सूचना जारी करके न्यायोचित किया था । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारण अधिकारी ने कोई गलती कारित की थी और वास्तव में निर्धारण अधिकारी ने पेन डाटाबेस के अनुसार पते पर सूचना भेजकर न्यायोचित किया था । यदि ऐसा है तो तारीख 5 अक्तूबर, 2007 की सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित अवधि के भीतर कही जा सकती है । जब एक बार सूचना अधिनियम की धारा 143(2) के परंतुक के अनुसार विहित अवधि के भीतर जारी की गई है तो इससे यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) का पर्याप्त अनुपालन किया गया था । जब एक बार सूचना अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित अवधि के भीतर भेज दी जाती है, उस दशा में उसके पश्चात् निर्धारिती पर वास्तव में सूचना को तामील करना अतात्विक होगा । किसी मामले में यह हो सकता है कि यद्यपि सूचना विहित अवधि के भीतर भेज दी गई है, तो भी निर्धारिती विहित अवधि के समाप्त होने तक वास्तव में सूचना की तामीली से बच सकता है । **होटल बल्यू मून** (उपर्युक्त) वाले मामले में निर्धारिती की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए मामले में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि निर्धारण अधिकारी को अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचना अवश्य अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित सीमा के भीतर आवश्यक रूप से जारी की जानी चाहिए । इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च

न्यायालय ने अपील को खारिज करके और विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) और आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों की पुष्टि करके और निर्धारण आदेश को इस एकमात्र आधार पर अपास्त करके न्यायोचित नहीं किया है कि निर्धारण आदेश इस आधार पर विधि की दृष्टि से दूषित है कि निर्धारिती पर बाद में अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन की गई सूचना की तामीली अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के परंतुक में विहित सीमा से परे थी ।

7. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान् अधिकरण के इस मत से सहमति व्यक्त करते हुए की गई इन मताभिव्यक्तियों का संबंध है कि नए पते पर आय-कर विवरणी फाइल कर देना ही निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम के अनुसार उचित प्रक्रियात्मक उपायों का पालन करने के लिए अपने विधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पर्याप्त होगा और जहां तक इसके साथ आय-कर अधिनियम का संबंध है, हमारी यह राय है कि पते में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को विनिर्दिष्ट रूप से सूचना दिए बिना और इसे पेन डाटाबेस में परिवर्तित कराए बिना आय-कर विवरणी में नए पते का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है । पते में परिवर्तन और/या निर्धारिती के नाम में परिवर्तन की बाबत निर्धारण अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट सूचना के अभाव में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती के पेन डाटाबेस में उल्लिखित पते पर सूचना भेजना न्यायोचित होगा, विशिष्ट रूप से जब विवरणी ई-माइयूल स्कीम के अधीन फाइल की गई हो । यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के अधीन सूचनाएं विभाग की स्वचालित व्यवस्था के अधीन सृजित मामले के चयन के आधार पर भेजी जाती हैं, जो पेन डाटाबेस से निर्धारिती के पते को उठाता है । इसलिए कंपनी के नाम में परिवर्तन और/या पंजीकृत कार्यालय या निगमित कार्यालय में किसी परिवर्तन की दशा में पेन के डाटाबेस में पते में परिवर्तन कराना आवश्यक है और इसे कंपनी रजिस्ट्रार को विहित रूप-विधान (प्ररूप सं. 18) में सूचित किया जाना चाहिए और उक्त अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए निर्धारिती के लिए यह अपेक्षित है कि वह उक्त दस्तावेज की प्रति के साथ विभाग को समावेदन करे और निर्धारिती के

लिए यह भी अपेक्षित है कि वह पेन के विभागीय डाटाबेस में पते के परिवर्तन के लिए आवेदन करे, जो निर्धारिती वर्तमान मामले में ऐसा करने में असफल रहा है ।

8. अब जहां तक निर्धारिती की ओर से इस दलील का कि निर्धारण वर्ष 2004-05 और 2005-06 की बाबत संसूचनाएं और निर्धारण आदेश नए पते पर भेजे गए थे और इसलिए निर्धारण अधिकारी को नए पते का ज्ञान था, संबंध है, इसे राजस्व विभाग द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है ।

9. हमारे इसमें ऊपर अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) और आय-कर अपील अधिकरण द्वारा निर्धारण आदेश को उपर्युक्त आधार पर विधि की दृष्टि से दूषित होना अभिनिर्धारित करते हुए पारित किए गए आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और ये अभिखंडित और अपास्त किए जाने योग्य हैं । चूंकि विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) ने अन्य आधारों पर विचार नहीं किया था और अपील में गुणागुण के आधार पर भी विचार नहीं किया गया था, इसलिए मामले को अपील को गुणागुण के आधार पर विधि के अनुसार विचार करने के लिए विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए ।

10. तद्नुसार, यह अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा आय-कर आयुक्त (अपील) और आय-कर अपील अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश को तद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । मामला विद्वान् आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील पर विधि के अनुसार अन्य आधारों पर गुणागुण के आधार पर विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है । खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.